



केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: admi.com.admn@kvs.gov.in
Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

Comp No. 22179

फा.11-Adm1072(उत्तराखण्ड)/1/2020-/dmn.1/299-318

दिनांक: 15.10.2026

कार्यालय आदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 03.10.2025 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केंद्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। **केंद्रीय विद्यालय सवाड़, जिला चमोली, उत्तराखण्ड (संसदीय क्षेत्र- गढ़वाल) अक्टूबर, 2025 में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से एक है।**

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केंद्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2027-28 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विद्यालय कोड	केंद्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2027-28 से निम्न स्थान पर केंद्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा :
2569	केंद्रीय विद्यालय सवाड़, जिला चमोली, उत्तराखण्ड।	केंद्रीय विद्यालय सवाड़, वार्ड: मालागाँव, ग्राम एवं पोस्ट ऑफिस- सवाड़, विकास खण्ड- देवाल, तहसील थराली, जिला चमोली, उत्तराखण्ड। - पिन कोड -246427.

उपर्युक्त केंद्रीय विद्यालय प्रारम्भ में बालवाटिका I से III, कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि एवं अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबन्धित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद शैक्षिक सत्र 2027-28 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।


(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:-

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन, केंद्रीय विद्यालय संगठन।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92.

7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92.
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
9. निदेशक (केन्द्रीय विद्यालय संगठन), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्त/प्रशिक्षण/ कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
12. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय सवाड़, जनपद चमोली, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
14. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय) देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें।
15. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
18. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
19. अध्यक्ष/सचिव, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
20. गार्ड फाइल।